

5274
 26.9.13 file 5017
 19.9.13

अनुसूची-14 फारम संख्या-562।

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
 सन्दर्भित वाद संख्या- 175/2013-14



श्री गनौर दास बनाम श्रीदास वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित																						
	<p>अभिलेख का अनुशीलन किया तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। विदित होता है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में गनौर दास उर्फ गोनु दास पेसर-स्व0 रामधानी दास उर्फ राम अदीन दास ग्राम- शीशो पश्चिमी थाना- सदर, जिला- दरभंगा आवेदक तथा (1) श्रीदास पेसर- स्व0 बच्चा दास (2) सुरज दास पेसर- श्रीदास (3) सुरत दास पेसर- श्रीदास तीनों ग्राम- शीशो पश्चिमी थाना- सदर, जिला- दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं। इस वाद की विषयवस्तु मौजा- शीशो पश्चिमी थाना- सदर में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :-</p> <p style="text-align: center;"><u>मद नं0- 01</u></p> <table border="1" data-bbox="324 1153 1258 1388"> <thead> <tr> <th>खेसरा</th> <th>श्रकवा</th> <th>वर्णन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213</td> <td>फीट 16 X 4 1/2 फीट = 72 Sqr. Ft</td> <td>आवेदक को आवंटित भूमि</td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>16 फीट X 7 फीट = 112 Sqr. Ft</td> <td>विपक्षी प्रथम पक्ष को आवंटित भूमि</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>मद नं0- 02</u></p> <table border="1" data-bbox="324 1512 1250 1825"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">406</td> <td>1254</td> <td rowspan="3">03 डीसमील मकान मय सहन</td> </tr> <tr> <td>214</td> </tr> <tr> <td>215</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">406</td> <td>1255</td> <td rowspan="3">03 डीसमील</td> </tr> <tr> <td>216</td> </tr> <tr> <td>213</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक गनौर दास के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 03.06.2013 के आलोक में उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद को प्रतिग्रहित करते हुए विपक्षी को निबंधित सूचना निर्गत की गई।</p>	खेसरा	श्रकवा	वर्णन	213	फीट 16 X 4 1/2 फीट = 72 Sqr. Ft	आवेदक को आवंटित भूमि	216	16 फीट X 7 फीट = 112 Sqr. Ft	विपक्षी प्रथम पक्ष को आवंटित भूमि	खाता	खेसरा	रकवा	406	1254	03 डीसमील मकान मय सहन	214	215	406	1255	03 डीसमील	216	213	
खेसरा	श्रकवा	वर्णन																						
213	फीट 16 X 4 1/2 फीट = 72 Sqr. Ft	आवेदक को आवंटित भूमि																						
216	16 फीट X 7 फीट = 112 Sqr. Ft	विपक्षी प्रथम पक्ष को आवंटित भूमि																						
खाता	खेसरा	रकवा																						
406	1254	03 डीसमील मकान मय सहन																						
	214																							
	215																							
406	1255	03 डीसमील																						
	216																							
	213																							

109/12/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>विपक्षी ने सूचना पाकर कार्रवाई में भाग लिया तथा अपनी ओर से आवेदक के आवेदन के खिलाफ आपत्ति आवेदन सह लिखित बयान दाखिल किया जिसपर उभय पक्षों को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।</p> <p>आवेदक का कहना है कि इनके पिता ने पूर्वजों द्वारा किये गए जमीन का आपसी बँटवारा हो जाने के पश्चात् खाता नं0 230 खेसरा नं0 1650 एवं 1654 की भूमि स्वयं के पैसे से खरीद की जिसका कुल रकवा 10 डी0 अर्थात् 02 कट्टा 07 धुर है जिसमें खेसरा नं0 1650 का 06 डी0 तथा खेसरा नं0 1654 का 04 डी0 की भूमि है। वादी ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि R.S.P.No.- 1254 रकवा- 03 डी0 एवं 1255 रकवा- 03 डी0 जो दक्षिण भाग हाल सर्वे खेसरा नं0- 1254 के है जो सहन एवं जोत आवाद के रूप में उपयोग विपक्षी द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों खेसरा का खतियान दोनों व्यक्ति यानि वादी एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष के नाम से खुला है, इससे विपक्षी प्रथम पक्ष को कोई सरोकार नहीं है। प्रश्नगत खेसरा नं0- 1254 और 1255 के उत्तर पुरब होकर सरकारी सड़क गुजरती है। इस खेसरा के पश्चिम में विपक्षी प्रथम पक्ष का भूमि रहने के कारण इसे यह दखल-कब्जा करना चाह रहे हैं। उसको लेकर उभय पक्ष को बीच ग्राम-कचहरी में वाद सं0- 5/08 चली जिसमें इनके द्वारा 16 फीट X 07 फीट = 112 Sqr. Ft. जो पूराना खाता नं0- 213 में से 16 फीट X 4 1/2 फीट = 72 Sqr. Ft. जमीन विपक्षी ने वादी को दिया और इस प्रकार नजरी नक्शा भी बनाया गया जिसपर पंचो के अलावा दोनों पक्षों ने अपना अपना हस्ताक्षर भी किये हैं। इसके बावजूद भी विपक्षी प्रथम पक्ष इस पंचनामा को नहीं मान रहे हैं। जिस कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है।</p> <p>विपक्षी ने अपने पक्ष के कथन में निम्न बातों का उल्लेख किया है :-</p> <p>(1) वादी द्वारा यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि के पश्चिम में इनका आवासीय मकान है यह गलत है। जबकि उक्त भूमि पर इनका आवासीय मकान एवं सहन है। इनका यह भी कहना है कि सरपंच ग्राम कचहरी शिशो पश्चिमी के न्यायालय में वाद सं0- 5/08 चली थी जिसमें इनके द्वारा 16 फीट X 07 फीट = 112 Sqr. Ft भूमि C.S.P. No.- 213 से तथा वादी द्वारा 16 फीट X 4 1/2 फीट = 72 Sqr. Ft भूमि C.S.P. No.- 216 में दिया गया है।</p> <p>इन्होंने अपने जबाब के पारा- 12 में उल्लेख किया है कि ग्राम कचहरी द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे मानने के लिए ये तैयार हैं बशर्ते इस अनुसार उक्त स्थल की नापी अंचल अमीन से करवा दिया जाय।</p> <p>वादी द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है :-</p> <p>(1) हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति (2) ग्राम कचहरी शिशो पश्चिमी का निर्णय की छायाप्रति</p>	

10/12/13

आदेश की क्र. संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>विपक्षी द्वारा वर्ष 07.10.1971 की केवाला का अपठनीय छायाप्रति वादी द्वारा के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, समर्पित कागजातों तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब के गहन अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच ग्राम कचहरी शीशो पश्चिमी द्वारा दिये गये निर्णय जो उभय पक्षों को मान्य है का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण विवाद विद्यमान है। इस विवाद का समाधान हेतु वादी एवं विपक्षी दोनों तैयार हैं ऐसी स्थिति में सरपंच ग्राम कचहरी शीशों पश्चिमी द्वारा दिये गये निर्णय के अनुकूल प्रश्नगत भूमि का नापी/सीमांकन करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव वाद के समाधान हेतु पक्षकार को निदेश दिया जाता है कि वे अंचल कार्यालय में अमानत शुल्क जमा कर प्रश्नगत भूमि का नापी करवा लें। अंचल अधिकारी सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि वे सरपंच शीशो पश्चिमी द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार स्थल का नापी करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>इसी के साथ वाद की कार्रवाई को निष्पादित किया जाता है।</p> <p>लेखापित्त एव शुद्धित  10/9/21/13 भू० सु० उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता  10/9/21/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	